Agreement with USA for Import of Edible Oil

1951. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have entered into an agreement with U.S.A. for the import of huge quantity of edible oil;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether it is also a fact that imports at this juncture would adversely affect the interests of oil seed farmers in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) In pursuance of the agreement dated the 28th May, 1992 for donation of agricultural commodities signed between Governments of India and United States of America (USA), a supplementary agreement has been signed with Government of USA for the import of approximately 44,000 Metric Tonnes of crude degummed soyabean oil during the US Fiscal Year 1993.

(c) Since the quantity of soyabean oil proposed to be imported is quite small as compared to the domestic requirement of edible oils, the proposed import of the soyabean oil will not adversely affect the interests of farmers in the country.

किसानों को बैंक-ऋण

1952. **श्री रामनरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि उपकरणों, उर्वरकों और बिजली के यंत्रों की खरीद करने के लिए किसानों को आसान किश्तों पर ऋण देने के लिए बैंकों को कोई अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या स्थानीय बैंक किसानों के प्रति इमानदारी से इन नियमों/अनुदेशों का पालन करते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) प्राथमिकता क्षेत्र को ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराते है जिनमें कृषि संबंधी मशीनरी और उर्वरकों की खरीद संबंधी अग्रिम शामिल है बिजली की मोटर और पम्प सेटों को लगाने के लिए भी बैंक ऋण देते हैं। यदि ऋण प्रस्ताव तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य और आर्थिक रूप से अर्थक्षम हैं तो बैंक निवेश ऋण देते हैं जिन्हें उचित किस्तों में वापस करना होता है।

(ग) और (घ) बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का अनुपालन करना होता है। बैंक इन मार्गनिर्देशों का अनुपालन कर रहें है या नहीं, बैंक शाखाओं की आवधिक निरीक्षणों के द्वारा इस पर निगरानी रखी जाती है। मार्गनिर्देशों के कार्यान्वियन में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर तथा शिकायतें प्राप्त होने पर उपचारी कार्रवाई के लिए संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।